MAH/MUL/03051/2012
ISSN-2319 9318

International Multilingual Research Journal

Vidyawarta®

Issue-20, Vol-12, Oct. to Dec.2017

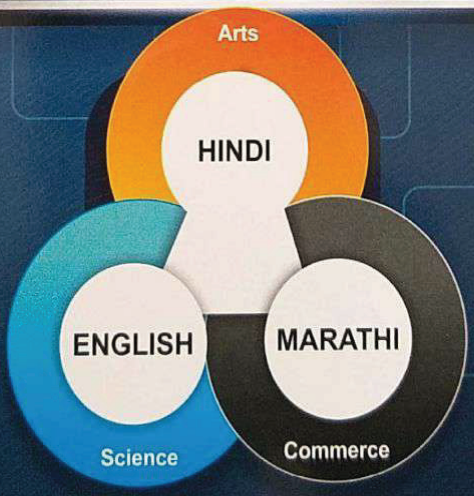

Editor
Dr.Bapu G.Gholap

www.vidyawarta.com
Scanned with CamScanner

Vidyawarta™

International Multilingual Research Journal

Editorial Board & Advisory Committee

1) Dr. Vikas Sudam Padalkar (Japan)
2) M.Saleem, Sialkot (Pakistan)
3) Dr. Momin Mujtaba (Saudi Arebia)
4) N.Nagendrakumar (Sri Lanka)
5) Dr. Wankhede Umakant (Maharashtra)
6) Dr. Basantani Vinita (Pune)
7) Dr. Upadhya Bharat (Sangali)
8) Jubraj Khamari (Orissa)
9) Krupa Sophia Livingston (Tamilnadu)
10) Dr. Wagh Anand (Aurangabad)
11) Dr. Ambhore Shankar (Jalna)
12) Dr. Ashish Kumar (Delhi)
13) Prof.Surwade Yogesh (Satara)
14) Dr. Patil Deepak (Dhule)
15) Dr. Singh Rajeshkumar (Lucknow)
16) Tadvi Ajij (Jalgaon)
17) Dr.Patwari Vidya (Jalna)
18) Dr.Varma Anju (Gangatok)
19) Dr.Padwal Promod (Waranasi)
20) Dr.Lokhande Nilendra (Mumbai)
21) Dr.Narendra Pathak (Lucknow)
22) Dr.Bhairulal Yadav (West Bangal)
23) Dr.M.M.Joshi, (Nainital)
24) Dr.Sushma Yadav (Delhi)
25) Dr.Seema Sharma (Indor)
26) Dr. Choudhari N.D. (Kada)
27) Dr. Yallawad Rajkumar (Parli v.)
28) Dr. Yerande V. L.(Nilanga)
29) Dr. Awasthi Sudarshan (Parli v.)
30) Dr. Prema Chopde (Nagpur)
31) Dr Watankar Jayshree
32) Dr. Saini Abhilasha
33) Dr. Vidya Gulbhile (M.S.)
34) Dr. Kewat Ravindra (Chandrapur)
35) Dr. Pandey Piyush (Delhi)
36) Dr. Suresh Babu (Hydarabad)
37) Dr. Patel Brijesh (Gujrat)
38) Dr. Trivedi Sunil (Gujrat)
39) Dr. Sarda Priti (Hydarabad)
40) Dr. Nema Deepak (M.P.)
41) Dr. Shukla Neeraj (U.P.)
42) Dr. Namdev Madumati (M.P.)
43) Dr. Kachare S.V. (Parli-v)
44) Dr. Singh Komal (Lucknow)
45) Dr. Pawar Vijay (Mumbai)
46) Dr. Chaudhari Ramakant (Ja

Indexed

International Multilingual Research Journal Vidyawarta Jr.No.62759 UGC Approved Refereed Journal

IMPACT 4.014 iijif FACTOR

Govt. of India, Trade Marks Registry Regd. No. 2611690

Note : The Views expressed in the published articles,Research Papers etc. are their writers own. 'Printing Area' dose not take any libility regarding appoval/disapproval by any university, institute,academic body and others. The agreement of the Editor, Editorial Board or Publicaton is not necessary. Disputes, If any shall be decided by the court at **Beed** (Maharashtra, India)

http://www.printingarea.blogspot.com

Scanned with CamScanner

MAH/MUL/ 03051/2012 ISSN :2319 9318

आंतरविद्याशाखीय बहुभाषिक संशोधन पत्रिका

विद्यावार्ता

TM

UGC Approved Jr.No.62759

Oct. To Dec. 2017
Issue-20, Vol-12

Editor
Dr. Bapu g. Gholap
(M.A.Mar.& Pol.Sci.,B.Ed.Ph.D.NET.)

विद्येविना मति गेली, मतीविना नीति गेली
नीतिविना गति गेली, गतिविना वित्त गेले
वित्तविना शूद्र खचले, इतके अनर्थ एका अविद्येने केले

-महात्मा ज्योतीराव फुले

❖ विद्यावार्ता या आंतरविद्याशाखीय बहूभाषिक त्रैमासिकात व्यक्त झालेल्या मतांशी मालक, प्रकाशक, मुद्रक, संपादक सहमत असतीलच असे नाही. न्यायक्षेत्र:बीड

"Printed by: **Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.** Published by **Ghodke Archana Rajendra** & Printed & published at Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.,At.Post. Limbaganesh Dist,Beed -431122 (Maharashtra) and Editor **Dr. Gholap Bapu Ganpat.**

Reg.No.U74120 MH2013 PTC 251205

Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.
At.Post.Limbaganesh,Tq.Dist.Beed
Pin-431126 (Maharashtra) Cell:07588057695,09850203295
harshwardhanpubli@gmail.com, vidyawarta@gmail.com

All Types Educational & Reference Book Publisher & Distributors / www.vidyawarta.com

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Index

01) The problem of 'witch-hunting' in Jharkhand
Baidehi Kumari, Ranchi. || 10

02) India - Turkey Relation
Dr. Sainath Vithal Chaple,Turkey || 12

03) To study the awareness of element.....
Dr. Pallavi Kaul & Ms Divya Gupta ,Uttar Pradesh || 16

04 PRABODHANKAR KESHAV SITARAM ....
Prof. Dr. Mohan Laxman Kamble,Sangli || 22

05) Water Pollution- Environmental Jeopardy Indicator
Rajesh N. Makasare & Dr. M.I. Baig || 27

06) A STUDY OF THE DIFFERENTIAL IMPACT OF SELF ....,
Neha Mishra & Dr. Sujeet Kumar,Rajasthan & Chhattisgarh || 32

07) The Utilisation of Vedic Mathematical Science ....
SANDEEP KUMAR ,FEROZEPUR CANTT || 37

8) A Study of Teachers' Perception of Students'....
Dr. Abha Sharm ,Lucknow || 39

9) The Change in Learning Environment and Kendriya Vidyalaya Library
Ms. Swati Tikam & Dr. Mohammed Imtiaz Ahmed. Raipur. || 44

10) Women and Violence
Dr. Rashmi Nagwanshi , Chhindwara (M.P.) || 49

11) TheSocial Economic Conditions and Labour .....
Siriman Naveen , Hyderabad. || 50

12) Telangana State as aBangaruTelanagana for t.....
PusapatiNaresh,Osmania University. || 56

13) AWARENESS OF CASTE DISCRIMINATION .....
Mr. Gautam Patil, Mumbai || 62

www.vidyawarta.com/03 | http://www.printingarea.blogspot.com

२७-हिंदी उपन्यास : अपराधजीवी जनजाति अधिनियम और आदिवासी
प्रा डॉ संजय नाईनवाड , जि सोलापुर || 120

२८.वर्तमान मूल्यों के परिदृष्य में साहित्य की भूमिका...
Prof- Neha M- Dharaiya , Gujarat || 122

२९.हिन्दुस्तानी तेहजीब का नुमाइंदा : नजीर अकबराबादी
डॉ.मोहम्मद अजहर ढेरीवाला,वडोदरा || 124

३०.म.प्र. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रायोजित योजनाओं एवं प्रशिक्षण .....
Mrs. Sonu Verma, INDORE , MADHYA PRADESH || 127

३१.डोगरी लोकगीतों में चित्रित राम
सतीश कुमार, जम्मू || 130

३२.चुनाव की राजनीति पर हरिशंकर परसाई के व्यंग्य–बाण
डॉ. भरत ए. पटेल, जि.साबरकांठा गुजरात || 133

३३गाँधीवाद – मानवीय सह–अस्तित्व एवं विकास हेतु प्रासंगिक
रंजीत कुमार, उत्तराखण्ड || 136

३४.लम्बी कविता ''राम की शक्ति पूजा'' .....
रीमा शुक्ला, लखनऊ || 139

३५.कार्योजित महिलाएं एवं तनाव: एक समाजशास्त्रीय
डॉ० कुसुमलता आर्या,अल्मोड़ा || 142

३६.संगीताचार्य महाराणा कुम्भा
डॉ. प्रभा बजाज, जयपुर || 147

३७.नाटयकला में संगीत का स्थान
Biswajit Barman, Tirupati || 149

३८.उपभोक्ता के अनियोजित क्रय व्यवहार का .....
Aneeta Sen , Indore || 154

३९.श्रीमद्भागवत में भक्ति–ज्ञान वैराग्य का स्वरूप
जितेन्द्र कुमार ठाकुर || 158

http://www.printingarea.blogspot.com
www.vidyawarta.com/03
Scanned with CamScanner

MAH MUL/03051/2012
ISSN: 2319 9318
UGC Approved Jr.No.62759
Vidyawarta®
Oct. To Dec. 2017
Issue-20, Vol-12
0120
27

हिंदी उपन्यास : अपराधजीवी जनजाति अधिनियम और आदिवासी ('धूणी तपे तीर', 'अल्मा कबूतरी' और 'रेत' उपन्यासों के विशेष संदर्भ में)

प्रा डॉ संजय नाईनवाड
सहायक प्राध्यापक,
हिंदी विभाग,
एस बी झाडबुके महाविद्यालय, बार्शी, जि सोलापुर

****

प्राचीन काल से जाति-व्यवस्था भारतीय समाज की विशेषता रही है। जाति-व्यवस्था ने किसी भी व्यक्ति का पद और भूमिका जन्म से ही तय कर दी थी। परिणामतः देश के विभिन्न इलाकों में ऐसी जातियाँ एवं जनजातियाँ बन गई जिनकी आजीविका का मुख्य साधन अपराध ही था। देश में ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद जब उनके सामने कानून-व्यवस्था कायम करने की समस्या आयी तब सरकार ने १८७१ में पहला 'अपराधी जनजाति अधिनियम' कानून बनाया। १८८६ से १९२४ के बीच संशोधन करके इस कानून को अत्यंत कठोर बनाया गया। इसके तहत लगभग २५० जरायमपेशा जनजातियाँ नामज़द हुई थी। कालांतर में इसका विरोध हुआ और अनुभव किया गया - "किसी जाति विशेष के सदस्यों को जन्मना अपराधी मानना और उनके साथ अपराधी जैसा व्यवहार करना मानवोचित नहीं है। इस नई विचारधारा के तहत इस बात के लिए आंदोलन हुआ कि अपराधी जाति कानून को समाप्त कर दिया जाए और अभी तक अपराधी समझे जानेवाले जनजातीय समूहों को अपराध से हटाकर उत्पाद के कार्यों में लगाया जाये ताकि वे एक स्वतंत्र देश के सम्मानित नागरिक बन सके।"१ स्वतंत्रता मिलने पर देश की लोकतांत्रिक सरकार ने १९५२ में 'अपराधी जनजाति उन्मूलन अधिनियम' बनाकर उपरोक्त समूहों को विमुक्त कर दिया।

अपराधी जनजाति अधिनियम और आदिवासियों का चित्रण 'धूणी तपे तीर', 'अल्मा कबूतरी' और 'रेत' उपन्यासों में हुआ है। इन उपन्यासों के आधार पर अपराधी जनजाति अधिनियम बनाने के मूल कारण, उसके प्रावधान और इन प्रावधानों के चलते जनजातियों पर पडे प्रभाव को निम्न तरह से समझ सकते हैं -

'धूणी तपे तीर' उपन्यास में इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया है कि देश की कतिपय ऐसी जनजातियाँ जिन्हें अपराधी जनजाति अधिनियम के तहत सूचीबद्ध किया गया था, वे मूलतः अपराधी नहीं थी, वे ऐसी जातियाँ थी जिन्होंने उपनिवेशवादी ब्रिटिश हुकूमत की दासता के विरोध में देश को आज़ादी दिलाने की लड़ाई लड़कर प्राणों की आहुती दी थी। ये विद्रोही जातियाँ अंग्रेज सत्ता केन्द्रों, अधिकारियों, जमींदारों एवं राज के कारिंदों पर हमले किया करती और उन्हें लूटकर मौत के घाट उतारती थी। उपनिवेशवादी ब्रिटिश हुकूमत को आदिवासियों की विद्रोही हरकतों में सत्ता पलट की बूँ आने लगी। उन्होंने इस हरकत को देशद्रोह करार दिया। उपन्यासकार के अनुसार - "आदिवासियों द्वारा यहाँ-वहाँ की जा रही लूट व चोरी की घटनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए कोंसिल ने डूंगरपुर रियासत क्षेत्र के भील, मीणा व गरासियों को अपराधी जनजाति अधिनियम के तहत सूचीबद्ध कर दिया। ऐसी ही व्यवस्था ईडर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, प्रतापगढ़ व मेवाड़ के भेमट क्षेत्रों के लिए कर दी। यह कानून सर्वप्रथम बोम्बे प्रेसीडेंसी में १८७१ में लागू किया गया था। इस कानून के प्रावधानों के तहत १२ वर्ष आयु के ऊपर के प्रत्येक आदिवासी सदस्य को पुलिस थाना में हाजरी देनी पड़ती थी वह अपने गांव से किसी कार्य हेतु दूसरी जगह जाता था तो उसे सम्बन्धित थानों में सूचना देनी होती थी। इस कानून की आड़ में आदिवासियों पर कई प्रकार के जुल्म किये जाने लगे। उन्हें अकारण थानों व चौकियों और जागीरदारों के गढ़ में बुलाया जाकर प्रताड़ित किया जाने लगा। उन्हें कोड़े मारे जाते, जूतों से पिटाई की जाती, पेड़ों पर उलटा लटकाया जाता।"२ इस कानून के तहत अंग्रेज फौजों द्वारा किये गये कई अत्याचारों के ऐसे मामले सामने आये जिसमें - विद्रोही आदिवासियों के हाथ, पाँव काटे गये थे ताकि वे कहीं घूम फिर न सके और न ही वे कुछ कर सके।

'अल्मा कबूतरी' उपन्यास में बताया गया है कि बंजारे, कबूतरा, मोंघिया, नट, गाड़िया लुहार, कलंदर, ये मूलतः चित्तौड़ की रानी पद्मावती के सैनिकों के वंशज हैं। रानी के साथ मुगल सम्राट उल्लाउदीन के विरोध में इनके वंशज युद्ध किए थे। बाद में इन्होंने झाँसी की राणी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर भी अंग्रेजों के विरोध में देश की आज़ादी की जंग लड़ी थी। पराजय के चलते ये बिखर गए। किंतु इनकी स्वाधीनता की भावना में रत्ती भर भी कमी नहीं आयी। इन आदिवासियों ने फिरंगियों की हुकूमत नहीं कबुली और न उन्हें कभी हुक्मरान माना। इनके लिए वे तो सदैव ही फिरंगी ही रहें, इनकी धारणा थी-फिरंगी हम मूल निवासियों पर हमारी ही भूमि में आकर राज कर रहे हैं। अंग्रेजों के विरोध में देश की ऐसी कई जनजातियों ने बगावत की। टुकड़ियों में बँटी बागी जातियाँ छापामार और गुरील्ला पद्धति अपनाकर परंपरागत हथियारों से लैस होकर हुक्मरानों पर हमले पर हमले कर रही थीं। हुकूमत के जमींदार, सैन्य, प्रशासनीक अधिकारी, फौजी छावनियाँ एवं सरकारी संपत्ति - बागियों का निशाना हुआ करती थी। बगावत के इस ढंग ने ऐसी लहर मारी की अंग्रेजों के हौसले फट गए। उपनिवेशवादी ब्रिटिश हुकूमत ने इससे निपटने के लिए

Scanned with CamScanner

विद्रोहियों की बस्तियों को जलाकर, उनकी बहु-बेटियों पर अत्याचार करके, खुन की नदियाँ बहाकर विद्रोहियों पर अंकुश रखने का प्रयास किया। अंग्रेजों द्वारा क्रूरता की हदें पार करने के बावजूद भी बगावत का जलजला ज्यों का त्यों रहा। आँधी का वेग रत्तीभर भी नहीं घटा, विपरित उसमें चारों दिशाओं से उठा तुफान आ मिल रहा था।"३

अंग्रेज हुकूमत ने इन्हें घेरने का अचूक ढंग इज़ाद किया। हुकूमत ने घोषित कर दिया - ये लोग बागी नहीं, कौमी अपराधी हैं। ये जो वारदातें करते हैं यहीं इनका पेशा है। हत्याएँ, लूटमार, और राहजनी जैसे जुर्म करनेवाले मुजरिम घुमंतू लोग इन्हें जहाँ देखा जाए, पकड़ लिया जाए - ऐसा हुक्म सरकार की ओर से फौज और पुलिस को उस समय दिया गया था। जंगल छाने गए, चुन-चुनकर आज़ादी के दीवाने बागियों को घर-परिवार सहित पकड़कर दूर समुद्र में जल समाधी दी जाने लगी। मगर इंकलाब का नारा रूका नहीं। बागी जाँबाज थे। अफसरों को ही उठा-उठाकर पानी में पटकने लगे। फिर और एक उपाय इन भूखे और बेघरों को बसावटों का झाँसा दिया गया। इसके तहत कइयों को मारिशस, सूरिनाम और फिजी जैसे देशों में नौकरी देकर आसानी से हमेशा हमेशा के लिए बेघर और बे-वतन कर दिया [illegible] युद्ध थमा नही। आदिवासियों ने झाँसी के डिवीजन कमांडर को मार गिराया। इससे फिरंगी तबके में सन्नाटा छा गया। हथियार और युक्तियों का पैमाना बेकार साबित हुआ। फिर क्या - "कलम! १९७१ का साल। जन्मजात अपराधी! अधिनियम लागू हो गया-कबूतरा, मोघिया, कलंदर, साँसी, पारदी, माम्पट, औंदिया जैसी जातियों के लोगों के धंधे अपराध माने गये, क्योंकि वे अपने रोजगार को कानूनी करार देते हैं और वारदातें करते हैं। आजादी की लालसा लिए चित्तोड़गढ़ से निकले लोगों की पीढ़ियों के काफिले फिरंग सरकार, अंग्रेज हुकूमत ने इबारत की रस्सी से बाँध दिए।...थाने के बँधुआ हो गए, अँगूठा देने के बाद ही कही आ-जा सकेंगे। रात में निगरानी रहेगी...गदर के सिपाही, सदर के कैदी!"४

'रेत' उपन्यास में भी 'अपराधजीवी जनजाति अधिनियम' के परिप्रेक्ष्य में आदिवासियों पर विचार किया गया है। उपन्यासकार ने भारतीय आदिवासियों के लिए ब्रिटिशकाल को क्रूर काल क्यों कहा गया इस पर विस्तार से प्रकाश डाला है। उपन्यास - १८७१ में अंग्रेज अफसर जेम्स स्टीफ़न को अपराधी जनजातियों को लेकर कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों १८८६ से १९२४ के बीच अंग्रेज कानूनविदों जेन्किन्स, सर अलैक्जेण्डर कारड्यू, सर जेम्स क्रेरार को इसमें संशोधन करना पड़ा? क्यों सबसे अंत में इसमें संशोधन करके इस अपराधी जनजाति अधिनियम को १९२४ में इतना कठोर बनाना पड़ा? इन सब सवालों के जवाब प्रस्तुत उपन्यास देता है। उपन्यासकार अपराधजीवी जनजाति अधिनियम बनाने के मूल कारणों पर प्रकाश डालते हुए कहता है - "मेरठ से मद्रास तक राहजनी में लगे अनगिनत कंजरों को गिरफ्तार किया गया। इसलिए १८७० में हमीरपुर जिले के मजिस्ट्रेट ने इन गिरफ्तार कंजरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की शिफारीश की। १८७४ तक आते आते उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर, मथुरा एवं आगरा जिलों में कंजरों ने जो उत्पात मचाया उससे ब्रिटिशों को विद्रोह की बू आने लगी।"५ इनका उत्पात एवं बगावत हुकूमत के लिए खतरे की घंटा थी। इससे निजात पाने के लिए हुकूमत को जरूरी हो चुका था कोई ठोस कानून बनाना। उपन्यासकार ने इस कानून के बनाने के अन्य एक कारण पर प्रकाश डालते हुए 'दि इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल वर्क इन इण्डिया' के इस तर्क का हवाला दिया - "उन्नीसवीं शताब्दी के शुरूआती वर्षों में ठगों ओर डाकुओं के भय तथा आतंक के कारण भारत में अभूतपूर्व असुरक्षा का वातावरण था। चारो ओर फैली अपराधिक कार्रवाइयों को कुचलने के लिए ये कानून बनाने पड़े।"६

नामज़द जनजातियों को आगे चलकर जन्मना अपराधजीवी माना जाने लगा। इस अधिनियम में किए गये प्रावधान बेहद सख्त थे। अपराधी जनजाति अधिनियम के इन प्रावधानों के तहत पुलिस रजिस्टर में नामज़द को हररोज करीब के पुलिस थाने में अंगुठे लगाकर हाजिरी देनी पड़ती थी। तमाम नामज़द व्यक्तियों की जिम्मेदारी डेरे के मुखिया की हुआ करती थी। नामज़द को मुखिया की अनुमति लिये बिना डेरे से बाहर जाने और किसी के बाहर से आने की मनाही थी। मुखिया को डेरे के बाहर आने-जाने वालों का ब्यौरा इलाके के थाना इन्जार्ज को देना अनिवार्य था यदि इसमें कोताही बरतने का मामला सामने आये तो संबंधित व्यक्ति की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी हुआ करती एवं मुखिया को जवाबदेही और जरूरत पड़ने पर सजा तक हुआ करती थी। किसी भी शख़्स को बेवहज पुलिस की पुछताछ, गिरफ्तारी और हवालात का सामना करना पड़ता था। नामज़दों के नाम अंग्रेजी में दर्ज कर, उसकी एक लिस्ट थाने के नोटीस बोर्ड पर लगायी जाती थी। इस कानून के तहत किसी की नामज़दी या नाम हटाने का पूर्ण अधिकार जिला मजिस्ट्रेट को हुआ करता था। मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ़ कोई अपील का प्रावधान भी नहीं था।

इस कानून के द्वारा ब्रिटिश हुकूमत ने अत्यंत अमानवीय तरीके से आदिवासियों के विद्रोह को कुचलते हुए उन पर अन्याय-अत्याचार किए। नामज़द जातियों की महिलाओं पर भी पुछताछ के नाम पर शारीरिक अत्याचार किए, महिलाओं के पति को छुड़ाने के नाम पर यौन उत्पीड़न भी हुआ करता था। बाद में देश स्वतंत्र होने के बाद १९५२ में 'अपराधजीवी जनजाति उन्मुलन अधिनियम' बनाकर अपराधजीवी जनजातियों को विमुक्त करके इसके पूर्व के कानून को भंग कर दिया गया। किंतु आज भी पूर्वाग्रह दूषित मानसिकता और सभ्य समुदाय की हिराकत भरी नजरें इनको अपराधी ही मानती हैं। चाहकर भी ये इस पेशे से खुद को अलग नहीं कर पाए हैं। उपन्यास की कमला बुआ थानेदार धरमसिंह से कहती है - "दरोगा जी, एक बात कहूँ। इस मुलक में हम तो आज भी वैसे ही हैं, जैसे फिरंगियों के जमाने में थे। पहले

Scanned with CamScanner

फिरंगियों और उनके दलाल-पिट्ठुओं ने हमारा जीना मुहाल कर रखा था, अब इन देसी फिरंगियों ने।"७ मजबूर होकर ये चोरी, लूटमार, अवैध शराब, देह-व्यवसाय जैसे गैर-कानूनी पेशों से जुड़कर अपनी आजीविका चलाते रहे हैं।

उपरोक्त प्रकार अपराधीजीवी जनजातियों का पूर्व ईतिहास, जनजातियों के अपराध की ओर बढ़ने के मूल कारण और अपराधजीवी जनजातियों के प्रति ब्रिटिश सरकार का राजनीतिक दृष्टिकोण, अपराधी जनजातियों का स्वतंत्रता आन्दोलन में योगदान एवं स्वतंत्रता के पश्चात भारत की लोकतांत्रिक सरकार ने अपराधी जनजाति उन्मुलन अधिनियम बनाकर अपराधी जनजातियों को अपराध से विमुक्त करने तक की घटनाओं को विवेच्य उपन्यासों के आधार पर हम समझ सकते हैं।

संदर्भ

१.डी.एन. मजुमदार, भारतीय जन संस्कृति, आपाला प्रकाशन-मुद्रण सहकारी समिति लि., लखनऊ-७, द्वितीय संशोधित संस्करण, १९८८, पृ.१७७

२.हरिरम मीणा, धूणी तपे तीर, साहित्य उपक्रम, हरियाणा, जनवरी, २००८, पृ.१५४

३.मैत्रेयी पुष्पा, अल्मा कबूतरी, राजकमल प्रकाशन, प्रा.लि. नई दिल्ली, प्रथम संस्करण २०००, पृ.१३०

४.वहीं, पृ.१३२

५.भगवानदास मोरवाल, रेत, राजकमल प्रकाशन, प्रा.लि. नई दिल्ली, प्रथम संस्करण २००८, पृ.४८

६.वहीं पृ.४८

७. वहीं, पृ.१४४

❑❑❑

वर्तमान मूल्यो के परिदृष्य में साहित्य की भूमिका: समाजशास्त्रीय संदर्भ मे

Prof- Neha M- Dharaiya
Assistant Professor,
Sociology Dept.
Vijaynagar arts college,
Vijaynagarar ,S-K, Gujarat

****

साहित्य, समाज और जनता आपस में जूड़े हुए है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवशति का संचित प्रतिबिंब होता है। इन चित्तवृतियों में संचित प्रतिबिंब का संबंध मूल्यो से है। सभ्यता और सभ्य समाज के केन्द्र बिन्दु में यही मूल्य रहे है। मानव सभ्यता का जिस रूप में विकास हुआ है उस यात्रा में एक मात्र लक्ष्य सम्पूर्ण मनुष्य की तलाश है। इसीलिए, चंडीदास ने "सबार ऊपेर मानुष सत्त " कहा, तो तुलसीदास ने " बड़े भाग मानुष तन पावा " कहकर इसकी महत्ता स्थापित की। इसी लहजे में मिर्जा गालिब ने भी कहा है कि ''बस कि दुश्वार है, हर काम का आसाँ होना । आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसाँ होना ।।''

यानी, आदमी होना ही बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है 'आदमियत', 'इंसानियत'। मूल्य ही आदमी को आदमी बनाते है। आज हर जगह मूल्य के स्थान पर गैर–मूल्य व्यक्त होने लगे है। वैश्वीकरण की वर्तमान प्रणाली समुदायों में असमानता की समस्या से लड़ने में असफल रही है। इसके विपरीत इसने आज आम आदमी के ऊपर धनवानों तथा शक्तिशालियों का आधिपत्य स्थापित करने में ही सहायता की है। वस्तुतरू आज का मूल्य संकट इन्ही धनवानों और शक्तिशालियों द्वारा निर्मित है। जिसका दंड आम आदमी को भोगना

Scanned with CamScanner